संख्या-09/2019/45 ई-2/तेरह-2019-22/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 16 जनवरी,2019

विषयः-जनपद लखनऊ के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-3244/जिला बार समिति/कानपुर नगर/2018-19/ दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 तथा पत्र संख्या-3244(ए) /जिला बार समिति/कानपुर नगर/2018-19/ दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भगत प्रकरणों में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 04-12-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी0-168/दस-लाइसेंस-26/एफ0एल0-6,7/ मौका रेस्टोरेन्ट/ बार अनु0 / कानपुर नगर दिनांक 31 दिसम्बर,2018 तथा पत्र संख्या-जी0-169/दस-लाइसेंस-26/एफ0एल0-6,7/ मनोज इंटरनेशनल/ बार अनु0 / कानपुर नगर दिनांक 31 दिसम्बर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त (1) मौका रेस्टोरेन्ट(एटिक हास्पिटेलिटी प्रा0लि0)15/198 विक्रमजीत सिंह रोड, सिविल लाइन, कानपुर नगर को एफ0एल0-7 रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापन तथा (2.) होटल मनोज इंटरनेशनल, स्वामी श्री कप्तान सिंह यादव, 9 सी कृष्णापुरम पी0ए0सी0 मोड़,कानपुर नगर को एफ0एल0-6 (समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने हेतु इस शर्त के साथ कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, अग्निशमन यंत्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, रेस्टोरेन्ट/होटल द्वारा उनका पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा, सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा सुरक्षाकर्मी हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से सुसज्जित रहेंगे, की व्यवस्था होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-09/2019/45 ई-2/तेरह-2019-22/2017 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी0-168/दस-लाइसेंस-26/एफ0एल0-6,7/ मौका रेस्टोरेन्ट/ बार अनु0 / कानपुर नगर दिनांक 31 दिसम्बर,2018 तथा पत्र संख्या-जी0-169/दस-लाइसेंस-26/एफ0एल0-6,7/ मनोज इंटरनेशनल/ बार अनु0 / कानपुर नगर दिनांक 31 दिसम्बर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।